न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प उम्मेदपुरा

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 43/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0आर0एक्ट

अनवान

1. लेहरू आत्मज रूपा सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. नारायण आत्मज गोकल सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. नाथुलाल आत्मज गोकल सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. छग्गु पत्नी गोकल सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
4. श्रीकिशन आत्मज रूपा सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
5. सुखलाल आत्मज रूपा सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
6. भंवरलाल आत्मज उदयराम सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
7. शंकरलाल आत्मज नारू सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
8. मांगीलाल आत्मज गुलाब सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
9. रोशन आत्मज नानुराम सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
10. हरिराम आत्मज रूपा सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
11. माधु आत्मज रूपा सुथार निवासी उम्मेदपुरा तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
12. मथराबाई पुत्री रूपा पत्नी नानुराम सुथार निवासी उम्मेदपुरा हाल रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः–**26.06.2018**

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम उम्मेदपुरा पटवार क्षेत्र उम्मेदपुरा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या 103 में आराजी संख्य 139/2 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 283 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 291/2 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 292/4 रकबा 0.02 है0, कुल किता 4 रकबा 0.49 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीद्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया जिनमें से विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस की गई।

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उम्मेदपुरा पटवार क्षेत्र उम्मेदपुरा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या 103 में आराजी संख्य 139/2 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 283 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 291/2 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 292/4 रकबा 0.02 है0, कुल किता 4 रकबा 0.49 है0 भूमि स्थित है। **बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीअदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प उम्मेदपुरा में सुनाया गया।

सत्यप्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उप खण्ड अधिकारी